कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक – 2384 /2ई0व0भू0, दिनांक 4-9-18

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय :– जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव संख्या–16778/2015)

सन्दर्भ :– Online Objection Dated 02-07-2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर ऑन लाइन अपलोड कर दिया गया है सुलभ संदर्भ हेतु निम्नवत प्रेशित है :–

क्र0सं0	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	Employment detail sems incorrect at para E in part-I.	Instead of 4 and 140 mandays, 350 Temporary mandays and 0 Permanent employment has been shsown at S.L. No. E part-I online.as per direction from your end.
2	VLC proceeding of village Chakori, Dhangan and Devinagar not found uploaded at para K in part-I	VLC Meeting held on 16.08.2018 for villages Dhyangan, Chokori and Devinagar is uploaded at para K in part-I.
3	State Govt may provide signed copy of part-I and II	Signed copy of part-I is submitted vide this letter no 1852/2 ई0व0भू0 दिनांक 27-07-2018 to Nodel Office Deharadun and the same receiving copy is uploaded at part-I.
4	CA scheme, site suitability certificate and NPV calculation for project have not being uploaded in para-13 in Form A, Part-II.	Action taken from your end please.

Please upload the same from your end.

Executive Engineer
Provincial Division PD,PWD
Bageshwar.

1.6

प्रपत्र–30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No-----Memo-----   Dated----30-10-2015

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.4905 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Devinagar(Dhampur)-Tusrera-Thanga motor road** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Tusrera and Thanga** villages in **Kanda** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.4905 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committe(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Signature

Dated 30-10-2015

(Bhupal Singh Manral,)

District Collector

जिलाधिकारी बागेश्वर

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम ठांगा
तहसील कांडा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (2.8815 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि, 1.6090 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.4905 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ठांगा द्वारा दिनांक 2.9.15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तुसरेरा एवं ठांगा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 /
ग्राम सचिव

ह0 /
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत ठांगा
वि0 ख0 व जनपद बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनाक 2-9-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ठांगा

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	राजेन्द्र प्रसाद उप्रेती	[signature]
2	रमेश चन्द्र उप्रेती	[signature]
3-	हेमन्त उप्रेती	Hupreti
4.	प्रमोद उप्रेती	[signature]
5.	[illegible] चन्द्र उप्रेती	[signature]
6-	मोहन चन्द्र उप्रेती	[signature]
(7)	विजय उप्रेती	Vupreti
(8)	विनोद उप्रेती	Vinod upreti
(9)	महेश उप्रेती	upreti
(10)	महेश उप्रेती	[signature]
(11)	संजय उप्रेती	संजय उप्रेती
(12)	पूरन चन्द्र उप्रेती	[signature]
(13)	गोविन्द राम	गोविन्द राम
(14)	पूरनराम	पूरनराम
(15)	ललित मोहन उप्रेती	ललित उप्रेती
(16)	चन्द्रराम	चन्द्र राम
(17)	[illegible]	[signature]
(18)	[illegible]	[illegible] सिंह
(19)	रणजीत सिंह	[signature]
(20)	कुशाल सिंह	Kushal
(21)	केशर सिंह	केशर सिंह
(22)	तारा देवी	Tara
(23)	नवीन सिंह	[signature]
(24)	हेमन्ती	[signature]
(25)	[illegible]	

(26)	हयात सिंह	Hayat Singh
(27)	गीता धानिक	Geeta Dhanik
(28)	हरकसिंह	HARK SINGH
(29)	तारा धानिक	Tara Davi
(30)	रतन सिंह	रतन सिंह
(31)	माधो सिंह	[illegible]
(32)	कमला देवी	कमला देवी
(33)	हीरा देवी	Heera Davi
(34)	धनुली देवी	Dhanuli Davi
(31)	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
(32)	हीरा सिंह	हीरा सिंह
(33)	हंसी देवी	हंसी देवी
(35)	मुन्नी-देवी	मुन्नी-देवी
(36)	BISHAN SINGH	BISHAN SINGH
(37)	चनुली देवी	चनुली देवी
(38)	लील सिंह	लील सिंह
(39)	आशा देवी	आशा देवी
(40)	अजय सिंह धानिक	Ajay Singh Dhanik
(41)	कुशाल सिंह धानिक	K singh
(42)	Ramesh Ram	Ramesh Ram
(43)	पूरन राम	पूरन राम
(44)		
(45)	बलवन्त राम	बलवन्त राम
(46)	केदार सिंह	केदार
(47)	बलवन्त सिंह	बलवन्त सिंह

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तुसरेरा
तहसील कांडा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (2.8815 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि, 1.6090 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.4905 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तुसरेरा द्वारा दिनांक 2-09-15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तुसरेरा एवं ठांगा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 /
ग्राम सचिव

प्रधान
ग्राम पंचायत ठांगा
वि0 ख0 व जनपद बागेश्वर

ह0 /
ग्राम प्रधान

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनाक 2-9-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत तुसरेरा

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेन्द्र प्रसाद उप्रेती	[illegible]
2	श्री- रमेश चन्द्र उप्रेती	[illegible]
3	प्रमोद चन्द्र उप्रेती	Upreti
4	हेमन्त उप्रेती	[illegible]
5	कैलाश चन्द्र	[illegible]
6	मोहन चन्द्र	[illegible]
(7)	विजय उप्रेती	[illegible]
(8)	विनोद उप्रेती	Vinod upreti
(9)	महेश उप्रेती	[illegible]
(10)	महेश चन्द्र उप्रेती	[illegible]
(11)	संजय उप्रेती	संजय उप्रेती
(12)	पूरन चन्द्र उप्रेती	[illegible]
13	गोविन्द राम	गोविन्द राम
14	पूरनराम	पूरनराम
15	ललित मोहन उप्रेती	ललित उप्रेती
16	चन्द्रराम	चन्द्रराम
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	मोहन सिंह
19	[illegible]	रणजीत सिंह
20	कुशाल सिंह	Kushal
21	केशर सिंह	केशर सिंह
22	तारा देवी	Tara
23	नवीन सिंह	Nav
24	हेमन्ती	[illegible]

26	हयात सिंह	HarSingh
27	गीता धामिक	Geeta Dhanik
28	हरक सिंह	HarKSi
29	तारा धामिक	Tara DAVI
30	रतन सिंह	RS[illegible]
31	माधो सिंह	[illegible]
32	कमला देवी	कमला देवी
33	हीरा देवी	Heera Devi
34	धनुली देवी	Danuli Devi
35	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
36	हरिसिंह	हरिसिंह
37	हंसी देवी	हंसी देवी
38	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी
39	धनसिंह	धनसिंह
40	BISHAN SINGH	BISHAN SINGH
41	चनुली देवी	चनुली देवी
42	लाल सिंह	लाल सिंह
43	आशा देवी	आशा देवी
42	अजय सिंह धामिक	Ajay Singh Dhamik
43	कुशाल सिंह धामिक	KSingh
44	Ramesh Ram	Ramesh Ram
45	पूरन राम	पूरन राम
46	बलवन्त राम	बलवन्त राम
	केदार सिंह	केदार
	बलवन्त सिंह	बलवन्त सिंह

1.6

प्रपत्र–30

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– धांगण (चौकुड़ी)
तहसील काण्डा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (2.8815 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि, 1.6090 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 4.4905 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एव वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम **धांगण** द्वारा दिनांक 16/8/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धांगण के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0/
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र ठांगा
10 ब0- बागेश्वर, जिला- बागे

ह0/
ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत धांगण
वि0ख0 व जनपद-बागेश्वर

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी कोउपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र–30.1

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनाक 16/8/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत– ठांगा (–चौकुड़ी)

क्र0 सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रतापराम	प्रतापराम
2	सीनू देवी	सोनू देवी
3	हरीश कुमार	हरीश कुमार
4	दीपक कुमार	दीपक कुमार
5	नवीनचन्द्र पाठक	नवीन चन्द्र पाठक
6	गोपालदत्त पाठक	गोपाल दत्त पाठक
7	संजय कुमार	संजय कुमार
8	हरीश कुमार	हरीश कुमार
9-	भूपाल सिंह	[illegible]
10-	रमेश राम	[illegible]
11-	भूपाल सिंह	[illegible]
12-		
13-	हरीश राम	हरीश राम
14-	गीता देवी	गीता देवी
15-		Surendra
16-	सुरेन्द्र	
17	पूरन राम	पूरन राम

समस्त ग्रामवासी देवीनगर, ठांगा –चौकुड़ी सम्मिलित रहे।

(हस्ताक्षर)

प्रधान
ग्राम पंचायत ठांगा
[illegible] जनपद-बागेश्वर

प्रपत्र–30.2

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कांडा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत बनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति– कांडा

उपखण्ड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (2.8815 है0 आरक्षित वनभूमि, 0.00 है0, सिविल सोयम वन भूमि, 1.6090 है0, वन पंचायत भूमि (अर्थात कुल 4.4905 है0 वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील कांडा की दिनांक 28.10.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समति की बैठक श्री फिचा राम चौहान, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्रीमती रेखा कोहली	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री रवइक सिंह रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्री कुन्दन सिंह कोरा	बी0डी0सी0 क्षेत्र टकनार	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.4905 है0 भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत देवरीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.4905 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
कान्डा

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

उपजिलाधिकारी
कान्डा

प्रपत्र–30.2

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 30.10.2015 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के प्रमाण पत्र दिनांक 28.10.2015 द्वारा देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग के लिए 4.4905 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्ष किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग के लिए 4.4905 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग के लिए 4.4905 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर
जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर	जिलाधिकारी बागेश्वर

1.6

प्रपत्र–30.3

परियोजना का नामः– जिला योजना में जनपद बागेश्वर में देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा–ठांगा मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित देवीनगर (धामपुर)–तुसरेरा –ठांगा मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.4905 .है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कांडा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नही हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

दिनांक 30-10-2015

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर जिलाधिकारी बागेश्वर

नोटः– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता ऐजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।